

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 318]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 अक्टूबर 2023—आश्विन 14, शक 1945

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

क्र. CT-8-0018-2023-Sec-1-पांच (CT) (44) .—राज्य सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 15 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त उपधारा के तहत निम्नलिखित आपूर्ति को अधिसूचित करता है, अर्थात् :—

- ऑनलाइन मनी गेमिंग की आपूर्ति;
- ऑनलाइन मनी गेमिंग के अलावा, ऑनलाइन गेमिंग की आपूर्ति; और
- कसीनो में कार्यवाई योग्य दावों की आपूर्ति

2. यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 2023 से प्रवृत्त मानी जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

क्र. CT-8-0018-2023-Sec-1-पांच (CT) (44) .—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक CT-8-0018-2023-Sec-1-पांच (CT) (44) :— दिनांक 6 अक्टूबर 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 6th October 2023

No. CT-8-0018-2023-Sec-1-V (CT) (44).—In exercise of the powers conferred under sub-section (5) of Section 15 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, notifies the following supplies under the said sub-section, namely :—

- supply of online money gaming;
- supply of online gaming, other than online money gaming; and
- supply of actionable claims in casinos.

2. This notification shall be deemed to have come into force on the 1st day of October, 2023.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

635